रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1834] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2015/भाद्र 6, 1937
No. 1834] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2015/BHADRA 6, 1937

ग्रामीण विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2015

का.आ. 2368(अ).—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) (जिसे इसमें इसके पश्चात् भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम कहा गया है) 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी हुआ;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू प्रतिकर के अवधारण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित अधिनियम के उपबंधों को जारी करने के लिए भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (3) में उपबंध है, अधिसूचना जारी करने का उपबंध करती है ;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (3) के अधीन अभिकल्पित अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 9) 31 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू प्रतिकर के अवधारण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करने के लिए भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की धारा 105 का संशोधन किया गया है;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) को भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के उपबंधों को निरन्तरता प्रदान करने के लिए 3 अप्रैल, 2015 को प्रख्यापित किया गया था ;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का 5) को भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) के उपबंधों को निरन्तरता प्रदान करने के लिए 30 मई, 2015 को प्रख्यापित किया गया था;